UPKU010001082013

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडौरना।

सेशन केस नं०–78/2013

सरकार बनाम लक्षुमन व अन्य।

आरोप

मैं, मदन मोहन, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान–पडरौना, आप अभियुक्तगण इम्तियाज व चन्दू उर्फ इमाम हुसैन को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 05.11.2010 को समय 11.00 बजे रात, वहद ग्राम कोकिल पट्टी, थाना विशुनपुरा, जिला कुशीनगर में आप लोगों ने सामान्य आशय से चोटहिल रामनगीना को लात–मुक्का से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा 323/34 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय में प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर चोटहिल रामनगीना को जान से मारने की नीयत से आप इम्तियाज द्वारा चोटहिल पर चाकू से प्रहार किया गया, जो सीने में बाँये तरफ काँख के नीचे लगा एवं आप चन्दू उर्फ इमाम हुसैन द्वारा चोटहिल के सिर पर लाठी से प्रहार किया गया। इस प्रकार आप लोगों ने एक राय होकर सामान्य आशय से उपहति कारित किया, जिससे यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या जैसे अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा 307/34 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय में प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोपों हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः04.07.2022

(**मदन मोहन**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I.
कुशीनगर स्थान पडरौना।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और परीक्षण की याचना की।

दिनांकः04.07.2022

(**मदन मोहन**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I.
कुशीनगर स्थान पडरौना।

Digitally signed by MADAN MOHAN
Date: 2022.07.04 16:06:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court